न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 63/2016/टीए

1. खेमराज पिता प्यारचंद धाकड
2. नानालाल पिता प्यारचंद धाकड
3. अमरचंद पिता प्यारचंद धाकड
4. छगनलाल पिता खेमराज धाकड
5. शिवलाल पिता नानालाल धाकड
6. दिनेशलाल पिता नानालाल धाकड

सभी निवासी कल्याणपुरा तहसील बेगूँ

–अपीलान्टस

बनाम

ऊंकारलाल पिता गोकल धाकड
निवासी कालाबड तहसील बेगूँ

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ
दिनांक 26.05.2016 प्रकरण सं. 162/2015

उपस्थित – 1. श्री अफजल मोहम्मद – अभिभाषक अपीलान्टस

निर्णय दिनांक– 11.12.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो को नजर अन्दाज कर प्रार्थना पत्र स्वीकार अपीलान्ट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

2. रेस्पोडेन्ट ने उसके द्वारा अपीलान्ट को विक्रय की गई आराजी नम्बर 232 रकबा 1.392 है0 है जिस पर रजिस्टर्ड विक्रय विलेख मे आराजी नम्बर 236 के पश्चिमी मेड पर गाडी गडार ट्रेक्टर आदि लाने ने जाने का कदमीना रास्ता है और इसी रास्ते के द्वारा अपीलान्ट अपने क्रयशुदा आराजी नम्बर 232 पर पहूँचते है तथा इस रास्ते के अलावा और कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है। रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय मे अप्रत्यक्ष रूप से

अपीलान्ट को उनके कदमीना रास्ते को रेस्पोडेन्ट ने खातेदारी के वर्तमान आराजी नम्बर 236 के पश्चिमी मेड पर स्थित है, यह सुखाधिकार अपीलान्ट को उनके द्वारा क्रयशुदा वर्तमान आराजी नम्बर 232 के क्रय दिनांक को अन्तरित होकर रेस्पोडेन्ट सुखाधिकार के पक्ष एवं उसके विरूद्ध राजस्व न्यायालय को क्षैत्राधिकार नही होते हुए भी अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया है जो विधि के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जिसका प्रकरण संख्या 50/16 जिसमे अपीलान्ट ने विस्तृत रूप मे अपने खातेदारी की आराजीयात मे पहूॅचने के कदमीना रास्ते जो रेस्पोडेन्ट के खातेदारी की वर्तमान आराजी नम्बर 236 के पश्चिमी मेड पर स्थित होकर इस रास्ते के उपयोग मे व्यवधान नही करने हेतु अनुतोष चाहा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट के रास्ते के सुखाधिकार मे उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार से दखल अदांजी नही करे ना ही किसी अन्य से करावे। रेस्पोडेन्ट को पाबन्द किया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्टस ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव मे एक काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र तथा धारा 212 आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र का एक साथ निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया। अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 232 रेस्पोडेन्टस से क्रय किया है। खसरा नम्बर 236, 240 के पश्चिम मे रास्ता उपलब्ध है जो कालाबड व कल्याणपुरा से जाता है। रेस्पोडेन्टस कालाबड का निवासी तथा अपीलान्ट कल्याणपुरा का निवासी है। रजिस्ट्री मे भी यह अधिकारी दिया हुआ है कि खसरा नम्बर 232 के पश्चिम की तरफ जो रास्ता बना है वह रास्ता क्रेता को मिलेगा तथा हमेशा सुखाधिकार के रूप मे उपलब्ध रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टस को कल्याणपुरा के तरफ जाने के लिये पाबन्द किया गया है जो विधिसम्मत नही है। अतः अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारीज किया जावे।

4. रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण अनुपस्थिति दर्ज की गई।

5. वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, प्राप्त जवाब एवं मौका रिपोर्ट तथा रजिस्ट्री मे उल्लेखित तथ्यो का अध्ययन किये बिना निर्णय पारित किया गया है जिसके कारण उकत निर्णय अपास्त होने योग्य है। फलतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी बेगूँ द्वारा प्रकरण संख्या 162/2015 मे पारित निर्णय दिनांक 26/05/2016 अपास्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है, साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षो को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण पुनः निर्णित किया जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ